राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय परिवहन मार्ग, जयपुर 302001 दूरभाष 0141 2374044

क्रमांक –एफ–4 / मु / याता / लेखा (121) / 2021 / 1334 दिनांक – 23.10.2021

जोनल मैनेजर / मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम,
.... आगार।

विषय:– राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 (आर.ए.एस.प्री भर्ती परीक्षा 2021) मे सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में।

प्रसंग:–इस कार्यालय का पूर्व आदेश संख्या एफ–4 / मु / याता / लेखा (58) / 2021 / 1147 दिनांक 16.04.2021 एवं पत्रांक संख्या एफ–4 / मु / याता / लेखा (121) / 2021 / 1310 दिनांक 6.10.2021 एवं पत्रांक संख्या मु. / याता / संचा / 194 दिनांक 21.10.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रो के क्रम मे लेख है कि शासन उप सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(5) परि / 2021 जयपुर दिनांक 23.10.2021 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार राज्य मे दिनांक 27.10.2021 को सम्पन्न होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 मे सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की बडी संख्या एवं कोविड–19 नियमो की पालना को ध्यान मे रखते हुए, सभी परीक्षार्थियो को परीक्षा के एक दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति के आगामी दिनाक तक निःशुल्क यात्रा सुविधा की पूर्व अनुमति को संशोधित करते हुए "परीक्षार्थियों को परीक्षा से दो दिन पूर्व तथा एक दिन पश्चात तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में राज्य सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जानी है।

अतः इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक सख्या मु. / याता / संचा / 194 दिनांक 21.10.2021 के बिन्दु सं 2 एव पत्रांक संख्या एफ–4 / मु / याता / लेखा (121) / 2021 / 1310 दिनांक 6.10.2021 के बिन्दु सं 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है

राज्य में दिनांक 27.10.2021 को होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 मे सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की बडी संख्या को ध्यान में रखते हुये, कोविड–19 नियमों की पालना के क्रम में सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा से दो दिन पूर्व तथा एक दिन पश्चात तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों मे राज्य सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है।

(हस्ताक्षर) 23/10

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक –एफ–4 / मु / याता / लेखा (121) / 2021 / 1334 दिनांक – 23.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (परिवहन), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव अध्य... एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. परिवहन निगम, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार।
6. समस्त विभागाध्यक्ष.............................राज0 परिवहन निगम,जयपुर।
7. समस्त महा प्रबन्धक / संयुक्त महा प्रबन्धक( ), राज0 परिवहन निगम..........
8. निगम सचिव, राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
9. समस्त उप महा–प्रबन्धक( ), राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
10. उप महा–प्रबन्धक, आईटी, राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर अपलोड कराना एव तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
11. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क / संचालन), राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
12. आदेश पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 23/10

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner